डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 236] रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2001—आश्विन 25, शक 1923

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

क्रमांक 3160/प्र.स./साप्रवि/2001 रायपुर, दिनांक 17-10-2001

पं. रविशंकर शुक्ल पुरस्कार

प्रस्तावना :— छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ने सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित करने और इनमें एक राष्ट्रीय कीर्तिमान विकसित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय सम्मान की स्थापना की है. इस पुनीत कार्य में व्यक्तियों के योगदान को प्रोत्साहित करने, मान्यता देने एवं प्रतिष्ठा मंडित करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने इस क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को ''**पं. रविशंकर शुक्ल पुरस्कार**'' देने का निर्णय लिया है.

इस सम्मान के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं :—

1. **संक्षिप्त नाम** :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ''पं. रविशंकर शुक्ल पुरस्कार नियम-2001'' है.
   (2) ये नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. **परिभाषा** :—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(अ) ''व्यक्तियों'' से तात्पर्य एक या एक से अधिक व्यक्तियों से है.

(ब) ''निर्णायक मंडल'' से अभिप्राय इन नियमों के नियम-4 के अंतर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायक मंडल (जूरी) से है.

3. **सम्मान का स्वरूप** :—सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य का इतिहास रखने वालों को "पं. रविशंकर शुक्ल पुरस्कार" राशि रुपये 2,00,000/- (रुपये दो लाख) नगद, सम्मान तथा प्रतीक चिन्ह से युक्त पट्टिका, प्रशस्ति के रूप में दी जायेगी. सम्मान, सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों (दो से अधिक नहीं) को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयन होने पर दिया जाएगा, परन्तु निर्णायक मंडल के निर्णय के आधार पर सम्मान की नगद राशि अधिकतम दो व्यक्तियों के मध्य विभाजित हो सकती है. प्रशस्ति-पत्र अलग-अलग दिया जावेगा.

4. **निर्णायक मंडल का गठन** :—राज्य शासन, सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य के जानकार व्यक्तियों का एक निर्णायक मंडल (जूरी), जो सामान्यत: पांच सदस्यीय होगी, का गठन करेगा.

5. **निर्णायक मण्डल की शक्तियाँ** :—

1. निर्णायक मण्डल द्वारा किया गया चयन अंतिम एवं शासन के लिए बंधनकारी होगा.

2. सम्मान के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी.

3. संबंधित सम्मान वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे व्यक्तियों के नाम पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वह सम्मान के उद्देश्यों के अनुरूप पाए.

4. सामान्यत: प्रत्येक वर्ष के सम्मान के लिए एक ही व्यक्ति का चयन होगा, किन्तु निर्णायक मंडल (जूरी) यदि उपयुक्त समझे तो, वह सम्मान के लिए अधिकतम दो व्यक्तियों का चयन कर सकेगा और तद्नुसार उन्हें सम्मान की राशि संयुक्त रूप से प्रदान की जावेगी.

5. निर्णायक मंडल (जूरी) की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा.

6. निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड-ए के समकक्ष श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा अर्थात् माननीय सदस्यों को वायुयान से यात्रा करने का अधिकार प्राप्त होगा तथा इसका भत्ता प्राप्त होगा.

6. **चयन की प्रक्रिया** :— सम्मान के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :—

1. जिस वर्ष के लिए सम्मान प्रदान किया जाना है उस वर्ष के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग अथवा जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रमुख समाचार-पत्रों में राज्य शासन की ओर से जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाकर विषय विशेषज्ञों से भी नियमानुसार प्रविष्टियां आमंत्रित की जावेंगी. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जावेगी. विज्ञप्ति जारी करने के समय आदि में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तित कर सकेगा.

2. प्रविष्टि प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत की जावेगी. प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जाए :—

(क) व्यक्ति का पूर्ण परिचय.

(ख) सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में किये गये कार्यों की सप्रमाण विस्तृत जानकारी.

(ग) यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण.

(घ) सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य तथा इसके सैद्धांतिक पक्ष के विषय में प्रकाशित साहित्य की फोटो प्रति (सत्यापित).

(च) सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात् पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के माध्यम से उपलब्ध साहित्य.

(छ) चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के बारे में व्यक्ति की लिखित सहमति.

3. (अ) चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होंगी.

(ब) एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति का कार्य दोबारा पुरस्कार हेतु विचारणीय नहीं है.

4. प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्वर्ती पत्र-व्यवहार पर सम्मान के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा.

5. प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्त्ता का रहेगा. इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जाएगा.

6. निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर संबंधित सम्मान वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियों को पंजीकृत किया जावेगा.

क्रमांक	सम्मान हेतु व्यक्ति का नाम तथा पता	प्रविष्टिकर्त्ता का नाम, पद एवं पता	प्राप्त कागजातों के कुल पृष्ठों की संख्या	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

7. पंजीयन के पश्चात् प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णायक मंडल की बैठक के लिए संक्षेपिका तैयार करवायी जावेगी, जिसमें निम्नलिखित जानकारियों का समावेश होगा :—

1. व्यक्ति का नाम एवं पता
2. प्रस्तावक
3. "सम्मान" विषयक की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा
4. प्राप्त पुरस्कार/सम्मान
5. प्रमाण/टिप्पणियां/आलेख
6. सम्मान ग्रहण करने बाबत् सहमति है/नहीं है.

7. **चयन का मानदंड** :— सम्मान के लिए सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति के चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड रहेंगे :—

1. सम्मान के लिए निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों का चयन किया जावेगा जिन्होंने समर्पित भाव से सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा की हो.

2. निर्णायक मण्डल द्वारा पूर्व में किये गये एवं वर्तमान में किये जा रहे दोनों प्रकार के कार्यों का मूल्यांकन होगा.

3. व्यक्ति अथवा प्रस्तावक द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सम्मान के लिए बतायी गई उपलब्धियां वास्तविक तथ्यों पर आधारित हैं.

4. सम्मान चूंकि सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में समग्र योगदान के आधार पर दिया जाएगा इसलिए इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले द्वारा निजी स्तर पर किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होना आवश्यक है.

5. सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में व्यक्ति के समग्र योगदान का संबंधित क्षेत्र में व्यापक प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए जो कि प्रमाण-पत्रों/पत्र कतरनों एवं प्रतिवेदनों से लक्षित होगा.

6. निर्णायक मण्डल के अशासकीय सदस्य के परिवारजन उस वर्ष के सम्मान के लिए अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेगी, जिस वर्ष के सम्मान के निर्णायक मण्डल में व्यक्ति से संबंधित व्यक्ति सदस्य है.

8. **सम्मान की घोषणा :—** निर्णायक मंडल अपना निर्णय गोपनीय रूप से राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा सम्मान के लिए चयनित व्यक्तियों की औपचारिक घोषणा की जावेगी.

9. **अलंकरण समारोह :—** पुरस्कारों का अलंकरण समारोह प्रतिवर्ष संस्कृति संचालनालय द्वारा आयोजित होगा जिसमें भाग लेने के लिए चयनित व्यक्ति को आमंत्रित किया जावेगा. विशेष परिस्थितियों में पुरस्कृत व्यक्ति अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसको उन्हीं के साथ यात्रा एवं आवास की सुविधा प्राप्त होगी. पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को शासन के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी के समकक्ष रेल एवं वायुयान से यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी.

10. **व्यय की संपूर्ति :—** सम्मान एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जायेगी.

11. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन :—**राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को सम्मान नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी, ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, को निराकरण के अधिकार भी प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग में वेष्ठित होंगे.

12. **अन्य दायित्वों का निर्वहन :—** प्रतिवर्ष प्राप्त प्रविष्टियां एवं चयनित व्यक्ति का रिकार्ड एक अलग-अलग जिल्द में संचालनाय संस्कृति द्वारा संधारित किया जावेगा. चयनित व्यक्ति के सामाजिक सद्भावना के कार्य के संबंध में समारोह के समय एक सचित्र स्मारिका जारी की जावेगी जिसमें सम्मान के उद्देश्य, स्वरूप, सम्मान प्राप्त के विवरण आदि का समावेश होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंदिरा मिश्र, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.